



Sadanlal Sanwaldas Khanna Degree College, Allahabad

(A Constituent College of the University of Allahabad)


Accredited 'A' grade by NAAC


Ref.

Date 14.12.2019

It is certified that the following are the Sanctioned Posts under Teaching category in Sadanlal Sanwaldas Khanna Mahila Mahavidyalaya:

Year	No. of Teaching Posts sanctioned by University/Government	No. of Teaching Posts sanctioned by Management
2014-15	27	35
2015-16	46	35
2016-17	46	35
2017-18	46	24
2018-19	46	24


(Prof. Lalima Singh)
Principal
S.S.K.G.D.C
Principal
S. S. Khanna Girls' Degree College
Allahabad


(Dr. Asha Seth)
Chairperson
Governing Body, S.S.K.G.D.C
Chair Person
Governing Body
S. S. K. (A. U.)

Details of Sanctioned Post

Year of Sanction	No. of Posts
1980	13
1987	05
1988	01
1989	01
1991	02
1997	01
1998	04
2015	19
Total	46

Department-wise Details of Sanctioned Posts

Department	No. of Sanctioned Posts
Principal	01
Department of Hindi	03
Department of English	04
Department of Sanskrit	02
Department of Urdu	02
Department of Sociology	04
Department of Education	04
Department of Philosophy	03
Department of Economics	03
Department of Ancient History	04
Department of Medieval History	02
Department of Music (Vocal)	02
Department of Music (Instrumental)	02
Department of Painting	01
Department of Chemistry	03
Department of Botany	03
Department of Zoology	03
Total	46

राज्य सं 417/15-80-1118-4 पृ 18/79 दिनांक 28 मार्च 1980 से अनुदागिरा
 विद्यालय में शिक्षा निदेशक द्वारा वेतन रकबा करारों के
 प्रवर्धनाधीन स्थित शिक्षक / गैर शिक्षक कार्यालयों के पदों का वितरण -
 विद्यालय का नाम - एम एम गान्गा महिला महाविद्यालय, जनाबाबाद।

वेतन पद का नाम नियुक्ति तिथि द्वारा प्रदत्त बुद्धिका दि 01 जन 1979 का अनुमोदन की तिथि वेतन दर

1	2	3	4	5	6	7	8
शिक्षक वर्ग							
1- रिक्त	प्राचार्या	-	-	-	1200-1900	-	-
2- डॉ० श्रीमती आशादेवी	प्रवक्ता, हिन्दी	25.8.75	13.9.78	13.9.80	700-1600	740/-	
3- डॉ० श्रीमती सुमन मेह	ः शिक्षा	25.8.75	18.9.78	18.9.80	700-1600	740/-	
4- डॉ० श्रीमती भारतो	राजपूताना इतिहास	25.8.75	13.12.78	13.12.79	700-1600	700/-	
5- डॉ० शाप्रभा मुखर्जी	ः सौदागर	1.2.76	13.12.78	13.12.79	700-1600	700/-	
6- श्रीमती मोलेन्द्र	ः सौदागर	1.2.79	13.12.78	1.2.80	700-1600	700/-	
7- डॉ० कल्पना जैन	ः दर्शन शास्त्र	1.12.77	13.12.78	13.12.79	700-1600	700/-	
8- डॉ० श्रीमती इन्दु	ः इतिहास	1.8.77	18.8.79	18.8.80	700-1600	700/-	
9- डॉ० रीताराम	ः शिक्षाशास्त्र	1.1.79	18.8.79	1.8.80	700-1600	700/-	
10- डॉ० सुनिशोर्षि	ः अधीन शास्त्र	1.2.79	27.2.80	27.2.81	700-1600	700/-	
11- डॉ० जगदीश शर्मा	ः समाज शास्त्र	14.9.79	27.2.80	27.2.81	700-1600	700/-	
12- डॉ० नीरजा मेहरा	ः अंग्रेजी	1.10.79	27.2.80	27.2.81	700-1600	700/-	
13- रिक्त	ः तर्क	-	-	-	700-1600	-	
सहायक श्रेणी के कर्मचारियों							
- रिक्त	पुरतका लया धरक	5	-	-	350-675	-	
2- श्री चन्द्र प्रताप	ः प्रिन्सिपल लिपिक/लेखा धर	15.7.75	-	15.7.80	280-460	312/-	
3- रिक्त	ः लिपिक	-	-	-	200-320	-	
सहायक श्रेणी के कर्मचारियों							
1- श्रीमती लाला लाला	ः लेखिका	28.7.75	-	28.7.80	170-225	176/-	
2- श्रीमती लाला देवी	ः लेखिका	28.7.75	-	28.7.80	165-215	173/-	
3- रिक्त	ः लेखिका	-	-	-	170-225	-	
4- रिक्त	ः लेखिका	-	-	-	165-215	-	
5- रिक्त	ः लेखिका	-	-	-	165-215	-	
6- रिक्त	ः लेखिका	-	-	-	165-215	-	
7- रिक्त	ः लेखिका	-	-	-	165-215	-	
- रिक्त	ः लेखिका	-	-	-	165-215	-	

Photo copy
 attached
 28.4.79
 Principal

S. S. Khanna Girls D
 Allahabad

डॉ० रीताराम निदेशक
 शिक्षक वर्ग शिक्षा निदेशक
 कलेक्टर, जनाबाबाद

11/9/80
 24/4/80

(1) शिक्षक न. संख्या: 10700/1987

C.S.S

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक 130 भाग 130 प्र०,
शिक्षा डिग्री अर्थ अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राधिकृत निदेशक,
----- महाविद्यालय,
----- इलाहाबाद

पत्रांक डिग्री अर्थ/ 10700 /1987 दिनांक 7/11/87

विषय:- विषयों के अतिरिक्त पदों का सृजन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक महाविद्यालय के पत्रांक 5/10700/1987 दिनांक 13/11/87 द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त आपके महाविद्यालयों के लिए शिक्षकों के निम्नांकित पदों के सृजन की स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 60-क 16 ख के अन्तर्गत प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	प्रवक्ता पद के विषय का नाम	पद संख्या	वेतन क्रम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
11	प्रवक्ता हिन्दी	एक पद	700-1600	
12	प्रवक्ता संस्कृत	एक पद	700-1600	
13	प्रवक्ता प्राचीन इतिहास	एक पद	700-1600	
14	प्रवक्ता अर्थशास्त्र	एक पद	700-1600	
15	प्रवक्ता समाजशास्त्र	एक पद	700-1600	

2. निम्नांकित नये पदों के सृजन की मांग को वेतन संदाय हेतु स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है:-

3. इन पदों का सृजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं तथा घोषणाओं की सत्यता पर विश्वास करते हुए किया जा रहा है। यदि भविष्य में उक्त सूचनाओं या घोषणाओं का तथ्य आधार नहीं पाया गया तो इन पदों पर वेतन संदाय के परिणाम स्वरूप शासन को जो अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ेगा उसको पूरा करने का दायित्व प्रबन्धक का होगा और विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 60 डी 12 के अन्तर्गत उसकी वसूली की जायेगी।

4. उक्त पद इस आधार पर सृजित किये गये हैं कि जिन विषयों से वे संबंधित हैं उनमें स्वीकृति की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है यदि किसी भी कारणवश तत्संबंधी अस्थायी सम्बद्धता का विस्तरण न हुआ हो तब वह पद भरा न जाय। अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विषयों में कृपया नियुक्ति परीक्षा पर उस समय तक न की जाय जब तक कि सम्बद्धता स्थायी न

हो जाये।

5. स्थितिहाल इन पदों को स्वीकृति 30 जून, 1988 तक के लिए प्रदान की जाती है। 30 जून, 1988 से आगे की अवधि के लिए इनके संततीकरण के निमित्त आय कृपया 31 मार्च, 1988 की संबंधित विषय को वास्तविक छात्र संख्या, विषय में वास्तव में कार्यरत शिक्षकों/डिमान्टस्ट्रेटर्स की संख्या तथा पद के संततीकरण के औचित्य के संबंध में संबंधित विषय के समस्त शिक्षकों के साप्ताहिक वर्कलोड का आगणन निर्धारित प्रपत्र "स" में भेजें। यदि यह सूचना 30 मार्च, 1988 तक स्टाफ स्टेटमेंट के साथ प्राप्त नहीं होती है तो सृजित पदों का 30.6.88 से आगे संततीकरण करने पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। जब तक निदेशालय द्वारा पद स्थायी न कर दिया जाये तब तक कृपया पदधारक को स्थायी न किया जाये।

6. इन पदों पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा के नियमों के अन्तर्गत कुलपति का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही नियुक्ति की जायेगी।

7. इन पदों के पदधारकों के वेतन सदाय के लिए स्वीकृत धनराशि का विकलन निम्नलिखित आय व्यय लेखा शीर्षक के अन्तर्गत किया जायेगा।

मैदानों क्षेत्र:- "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-104-गैर सरकारी कालेजों और संस्थाओं को सहायता-04-स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को नये संकायों एवं नये विषयों को आरम्भ करने हेतु सहायक अनुदान-14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता"

भवदीय

(Handwritten Signature)

31.1.1988
सहायक शिक्षा निदेशक (1)
कृते शिक्षा निदेशक 30 शि 10 30 प्र 01

पृष्ठांकन संख्या डिग्री अर्थ/

/- उसी तिथि को।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित:-

1. कुलसचिव... 2. जिला विद्यालय निरीक्षक... 3. मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक...
2. जिला विद्यालय निरीक्षक... को इस अभ्युक्ति के साथ कि उक्त पद/पदों पर नियमानुसार नियुक्त शिक्षकों का वेतन सदाय कराने से पूर्व उनको नियुक्ति के निमित्त विषय की सम्बद्धता कुलपति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रमाण पत्र का परीक्षण कर लिया जाय।
3. मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक...
4. बजट सहायक अर्थ अनुभाग।
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 9/18 न्याय मार्ग, इलाहाबाद
6. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर/बनारस

31.1.1988
सहायक शिक्षा निदेशक (1)
कृते शिक्षा निदेशक 30 शि 10 30 प्र 01

हरजोत/-

21-1-88

शिक्षा निदेशक, महाविद्यालय,
शिक्षा डिग्री अर्थ अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राधिकृत शिक्षक,

रतोरसो खान्ना महिला महाविद्यालय,

इलाहाबाद

पत्रांक डिग्री अर्थ/

16039

/1987

दिनांक 21/1/88

विषय:-

विषयों के अतिरिक्त पदों का सृजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महाविद्यालय के पत्रांक 1108/1/87-88 दिनांक 4-12-77 द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त आपके महाविद्यालयों के लिए शिक्षकों के निम्नांकित पदों के सृजन की स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य विद्यापीठालय अधिनियम 1973 की धारा 60-क 16 11ख के अन्तर्गत प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	पद के विषय का नाम	पद संख्या	वितरण	अन्य वितरण
1	2	3	4	5
1	शिक्षाशास्त्र	स्क पद	2200- 4000	

इस कार्यालय के पत्रांक डिग्री अर्थ/10714/87, दिनांक 7-11-87 द्वारा कृषि शिक्षाशास्त्र के अंशकालिक प्रबन्धक पद को स्वीकृत करते हुए पूर्ण कालिक के रूप में पद का सृजन किया जाता है।

2. निम्नांकित नये पदों के सृजन की मांग को वेतन मंदाप हेतु स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है:-

3. इन पदों का सृजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं तथा घोषणाओं में सत्यता पर विश्वास करते हुए किया जा रहा है। यदि भविष्य में उक्त सूचनाओं या घोषणाओं का तथ्य आधार नहीं पाया गया तो इन पदों पर वेतन मंदाप परिणाम स्वल्प शासन को जो अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ेगा उसको पूरा करने का दायित्व प्रबन्धक का होगा और विद्यापीठालय अधिनियम, 1973 की धारा 60 1ड. 16 12 के अन्तर्गत उसको कूलों को जायेगा।

4. उक्त पद कम आधार पर सृजित किये गये हैं कि जिन विषयों में वे संबंधित हैं उनमें स्वीकृति का अभाव के लिए विद्यापीठालय में सम्मति प्राप्त हो चुकी है यदि किसी भी कारणवश तत्संबंधी अस्थायी सम्मति का विस्तरण न हुआ हो तब वह पद भरा न जाये। अस्थायी सम्मति प्राप्त विषयों में कृपया नियुक्ति पर विचारण पर उन समय तक न की जायज तक कि सम्मति स्थायी न हो जाये।

21/1/88

5. विद्यार्थी इन पदों को प्राप्त करने के लिए प्रदान की जायेगी। 30 मार्च, 1983 से पहले की प्राप्ति के लिए यदि अनुमोदित विद्यार्थी के विहित प्राप्त प्रमाण 30 मार्च, 1983 को संबंधित विषय को कस्तूरिज प्राप्त होगा, पिछले संबंध में कार्यरत विद्यार्थी/विद्यार्थिनी को संस्था तथा पद के अनुमोदन के अभाव में संबंध में संबंधित विषय के संबंधित विद्यार्थी के मापतादिक कर्तव्य का आगमन निर्धारित प्रपत्र "ग" में भेजा जायेगा। यदि यह सूचना 30 मार्च, 1983 तक स्टाफ स्टेटोन्ट के साथ प्राप्त नहीं होती है तो मृजित पदों का 30.6.83 से आगे अनुमोदन करने पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। इस तक विद्यार्थी द्वारा प्रमाणित न हो सकने वाले पदों को पुनः प्रपत्र द्वारा ही स्थायी रूप दिया जायेगा।

6. इन पदों पर विद्यार्थी/विद्यार्थिनी अधिनियम 1973 की धारा के नियमों के अनुसार अनुमोदन का अनुमोदन प्राप्त करने के अनुरोधों को निम्नलिखित को जायेगा।

7. इन पदों के पर्यवेक्षण के ध्यान में रखते हुए स्थायी धनराशि का विवरण निम्नलिखित आधुनिक सेवा कर्मियों के अन्तर्गत दिया जायेगा।

वैतनिक क्षेत्र:- "2202-साधारण-शिक्षण आजीवनपत्र-03-शिक्षण विभाग और उच्चतर शिक्षण-... और ... कर्मियों और संस्थाओं की महापत्रा-04-स्नातक स्था स्नातकोत्तर महापत्राओं को नये संकायों एवं नये विभागों को-... अस्तित्व करने हेतु महापत्रा अनुदान-14-महापत्र अनुदान/महापत्र/राज-... के माते द्वारा जाये।"

200-अनुमोदन
21-अनुमोदन
...
-33-

अनुमोदन
(Signature)

STO धारेन्द्र तिन्हा।
महापत्र और शिक्षा निदेशक।
पूरे शिक्षा निदेशक।

पृष्ठों/कन संख्या डिग्री/अर्थ/

/- उनी तिथि को।

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आकाशक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-
1. कुलसचिव, ...
 2. शिक्षा विभाग निरीक्षण, ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...

STO धारेन्द्र तिन्हा।
महापत्र और शिक्षा निदेशक।
पूरे शिक्षा निदेशक।

हरजीत/-

करने का दायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा और विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को धारा 60 डी. 112 के अन्तर्गत उसको वसूली की जा सकेगी।

4. उक्त पद इस आधार पर सृजित किये गये हैं कि जिन विषयों से वे संबंधित हैं उनमें स्वोकृति को अवधि के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है अथवा सम्बद्धता विस्तारणा/स्थाप्योकरणा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति एवं शासन को संस्तुति भेजी जा चुकी है। अस्थायी सहायक प्राप्त विषयों में कृपया नियुक्ति परिलोक्षण पर उस समय तक न की जाए कि सम्बद्धता स्थायी न हो जाये।

5. फिलहाल इन पदों को स्वोकृति 30 जून, 1989 तक के लिए प्रदान की जाती है। 30 जून, 1989 से आगे को अवधि के लिए इनके सततोकरण के निमित्त आप कृपया 31 मार्च, 1989 की संबंधित विषय को वास्तविक छात्र संख्या विषय में वास्तव में कार्यरत शिक्षकों/डिमान्स्ट्रेटर्स को संख्या तथा पद के सततोकरण के औचित्य के संबंध में संबंधित विषय के समस्त शिक्षकों के साप्ताहिक वर्क लोड का आगणन निर्धारित प्रपत्र "स" में भेजें। यदि यह सूचना 30 जून, 1989 तक स्टाफ स्टेटमेंट के साथ प्राप्त नहीं होती है तो सृजित पदों का 30 जून, 89 से आगे सततोकरण करने का निर्णय महाविद्यालय को 30.6.89 तक उपलब्ध न हो सकेगा। इस पद के प्रति कार्यरत शिक्षक का वेतन 30 जून 89 के उपरान्त शैक्षिक कार्यभार होने के बावजूद तब तक अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि पद का सततोकरण नहीं हो जायेगा। यदि पद के सततोकरण का औचित्य नहीं पाया जाता है और महाविद्यालय शिक्षक को कार्यरत अनाये रखता है तो वेतन भुगतान का उत्तर-दायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा।

6. जब तक निदेशालय द्वारा पद स्थायी न कर दिया जाय तब तक कृपया पदधारक को स्थायी न किया जाये।

7. इन पदों के प्रति आयोग की संस्तुति पर नियमानुसार नियुक्तियां की जाएंगी, जिनके संदर्भ में कुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। आयोग की संस्तुति प्राप्त न होने की दशा में आयोग अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशालय द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुए यदि आवश्यक हुआ तो तदर्थ नियुक्तियां की जा सकेंगी परन्तु ऐसी तदर्थ नियुक्तियां संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रदत्त पूर्वानुमोदन प्रदान

जाने के उपरान्त की जाने पर ही वेतन संदाय हेतु मान्य होगी।

ज्ञान को राजाज्ञा संख्या 3323/15-84/1111-3/1591/80 दिनांक 30 नवम्बर, 1984 में किये गये प्राविधान के अनुसार शासन द्वारा जो संस्थाएँ अल्पसंख्यक संस्था घोषित की गयी है ऐसी अल्पसंख्यक संस्थाओं के संबंध में नियुक्तियाँ विधिविद्यालय अधिनियम 1975 की धारा 31 के अनुसार की जायेगी और इन नियुक्तियों हेतु आयोग अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विधिविद्यालय एवं आयोग के अनुमोदनोपरान्त ही वेतन संदाय हेतु मान्य होगी।

8. इन पदों के पदधारकों के वेतन संदाय के लिए स्वीकृत धनराशि का विकलन निम्नलिखित आय व्ययक लेखा शीर्षक के अन्तर्गत किया जायेगा:

त्रिवर्षीय कार्यक्रम: "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-03-विधिविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के महाविद्यालयों में त्रिवर्षीय कार्यक्रम लागू किया जाना-33-अन्य व्यय"

पर्वतीय क्षेत्र: "2551-पहाड़ी क्षेत्र-60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र आयोजनागत-104-विधिविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा-03-अशासकीय महाविद्यालयों को सहायता सहायक अनुदान-02-सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को नये संकाय/विषय प्रारम्भ करने हेतु सहायता-14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता"

मैदानी क्षेत्र: "2202-सामान्य-शिक्षा-आयोजनागत-03-विधिविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-104-गैर सरकारी कालेजों और संस्थाओं को सहायता-04-स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को नये संकायों एवं नये विषयों को आरम्भ करने हेतु सहायक अनुदान-14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता"

भवदीय

डा. सुबोध चन्द्र

सहायक उपायुक्त शिक्षा निदेशक (अ) कृत शिक्षा निदेशक 30 फिरो 3090।

शिक्षा निदेशक 130/130/88
शिक्षा डिग्री अर्थ-1 अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राधिकृत नियंत्रक,
संस्कृत संस्थान, गुरुकुल डिग्री कालेज, महाविद्यालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक डिग्री अर्थ-1/

/88 दिनांक 16-2-88

विषय:- विषयों के अतिरिक्त पदों के सृजन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक महाविद्यालय के पत्रांक 1160/1/88-89

दिनांक 12.5.88 द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त आपके
महाविद्यालय के लिए शिक्षकों के निम्नांकित पदों के सृजन को स्वीकृति उत्तर
प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 60-क 16 11ख 1 के अन्तर्गत
प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	पुस्तक पद के विषय का नाम	पद संख्या	वेतनक्रम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	अंग्रेजी	एक पद	2200-4000	
2.	फाउण्डेशन कोर्स का अध्यापन विद्यमान शिक्षकों से जिनके			
3.	पास 24 पोरिबड से कम का कार्यभार है से कराया जाय।			
4.	शिक्षोत्तर कर्मचारियों का पद सृजन सम्भव नहीं है।			
5.				
6.				
7.				

2. निम्नांकित नये पदों के सृजन को मांग को वेतन संदाय हेतु स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है।

3. इन पदों का सृजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं तथा घोषणाओं को सत्यता पर विश्वास करते हुए किया जा रहा है। यदि भविष्य में उक्त सूचनाओं या घोषणाओं को सत्य नहीं पाया गया तो इन पदों पर वेतन संदाय के परिणाम स्वस्थ शासन के जो अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा उनको

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ० शि०) उ० प्र०
शिक्षा विधि अर्थ- १ अनुभाग,
इलाहाबाद ।

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव / प्राधिकृत नियंत्रक,

महाविद्यालय,

पत्रांक विधि अर्थ-१/.....

विषय :- विधियों के अतिरिक्त पदों के सृजन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महाविद्यालय के पत्रांक

1217/4706/1/90-91

18-5-91

द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त आपके महाविद्यालय के लिए शिक्षकों के निम्नलिखित पदों के सृजन की स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ६०-क (२) (ख) के अन्तर्गत प्रदान की जाती है :

क्र० सं०	पदनाम	पद संख्या	वेतन क्रम	अन्य विवरण
१.	प्रवक्ता कनिष्ठ शास्त्र	एक पद	2200-18000	
२.	प्रवक्ता संगीतशास्त्र	एक पद	2200-18000	

पत्रांक विधि अर्थ V/10714-19/87 दिनांक 7-11-87 द्वारा सृजित आकाशिक प्रवक्ता कनिष्ठ शास्त्र एवं संगीतशास्त्र के एक-एक पदों का स्थायीकरण पूर्णकालिक पद में परिवर्तित किया जाता है ।

२. उपरोक्त के अतिरिक्त पद सृजन की अन्य माँग को वेतन संदाय हेतु स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है :-

३. इन पदों का सृजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं तथा घोषणाओं की सत्यता पर विश्वास करते हुए किया जा रहा है । यदि भविष्य में उक्त सूचनाओं या घोषणाओं की सत्यता नहीं पाया गया तो इन पदों पर वेतन संदाय के परिणामस्वरूप शासन को जो अतिरिक्त व्ययभार वहन करना पड़ेगा उनको पूरा करने का दायित्व प्रबन्धक होगा और विश्व-विद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा ६० (२) के अन्तर्गत उसकी बसूली की जा सकेगी ।

४. उक्त पद इस आधार पर सृजित किये गये हैं कि जिन विषयों से वे सम्बन्धित हैं उनमें स्वीकृति की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है अथवा सम्बद्धता विस्तारण / स्थायीकरण के लिये विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति एवं शासन को संस्तुति भेजी जा चुकी है । अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विषयों में कृपया नियुक्ति परीक्षा पर उस समय तक न की जाय जब तक कि सम्बद्धता स्थायी न हो जाये :

५. फिलहाल इन पदों को स्वीकृति ३० जून, १९९१ तक के लिए प्रदान की जाती है । ३० जून, १९९१ से आगे की अवधि के लिये इनके सततीकरण के निमित्त आप कृपया ३१ मार्च, १९९१ को सम्बन्धित विषय की वार्षिक छात्र संख्या, विषय में वास्तव में कार्यरत शिक्षकों / डिमान्स्टेंटस की संख्या तथा पद के सततीकरण के औचित्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित विषय के समस्त शिक्षकों के साप्ताहिक वर्क लोड का आगणन निर्धारित प्रपत्र "स" में भेजें । यदि यह सूचना ३१ मार्च, १९९१ तक स्टाफ स्टेटमेंट के साथ प्राप्त नहीं होती है तो सृजित पदों का ३० जून, १९९१ से आगे सततीकरण करने का नियम महा-विद्यालय को ३०-६-९१ तक उपलब्ध न हो सकेगा । इस पद के प्रति कार्यरत शिक्षक का वेतन ३० जून ९१ के उपरान्त शैक्षिक कार्यभार होने के बावजूद तब तक अनुमय नहीं होगा जब तक कि पद का सततीकरण नहीं हो जायेगा । यदि पद के सततीकरण का औचित्य नहीं पाया जाता है और महाविद्यालय शिक्षक को कार्यरत बनाये रखता है तो वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा ।

६. जब तक निदेशालय द्वारा पद स्थायी न कर दिया जाय तब तक कृपया पद धारक को स्थायी न किया जावे ।
(कृपया पृष्ठ उलटिये)

७. इन पदों के प्रति आयोग की संस्तुति पर नियमानुसार नियुक्तियां की जायेगी, जिनके संदर्भ में कुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता न होगी। आयोग की संस्तुति प्राप्त न होने की दशा में आयोग अधिनियम की धारा १६ के प्रावधानों से अन्तर्गत विदेशालय द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुए यदि आवश्यक हुआ तो तदर्थ नियुक्तियों की जा सकेगी परन्तु ऐसे तदर्थ नियुक्तियां सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रवृत्त पूर्वानुमोदन प्रदान की संस्तुति प्राप्त न होने की दशा में आयोग अधिनियम की धारा १६ के प्रावधानों के अन्तर्गत विदेशालय द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुए यदि आवश्यक हुआ तो नियुक्तियों की जा सकेगी परन्तु ऐसी तदर्थ नियुक्तियां सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रवृत्त पूर्वानुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त की जाने पर ही वेतन संदाय हेतु मान्य होगी।

शासन की राजाज्ञा संख्या ३३२३/१५-८४ (११)-३- (५६)/८० दिनांक १० नवम्बर १९८४ में किये गये प्रावधान के अनुसार शासन द्वारा जो संस्थाएँ अल्पसंख्यक संस्था घोषित की गयी हैं ऐसी अल्पसंख्यक संस्थाओं के सम्बन्ध में नियुक्तियां विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा ३१ के अनुसार की जायेगी और इन नियुक्तियों हेतु आयोग अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं आयोग के अनुमोदनोपरान्त ही वेतन संदाय हेतु मान्य होगी।

८. इन पदों के पदधारकों के वेतन संदाय के लिये स्वीकृत धनराशि का विकलन निम्नलिखित आय व्ययक शीर्षक अध्ययन के विषय अन्तर्गत किया जायेगा :-

(क) २२०२-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-०३-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-१०४-गैर सरकारी कालेजों एवम् संस्थाओं की सहायता-३५-त्रिवर्षीय पाठक्रम के अन्तर्गत महाविद्यालयों के लिए प्रयोग शालाओं एवम् शिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था हेतु अनुदान-१४ सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता

(ख) २२०२-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-०३-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-१०४-गैर सरकारी कालेजों और संस्थाओं की सहायता-३१-कनिष्ठ गैर सरकारी महाविद्यालयों को पुनर्निर्माण नवीन विषय तथा अन्य प्रया-जनों हेतु अनुदान-१४ सहायक / अनुदान / राज सहायता

(ग) २५५१-पहाड़ी क्षेत्र-६०-अल्प पहाड़ी क्षेत्र आयोजनागत-१०४ विश्वविद्यालय एवम् अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सहायता-३१-कनिष्ठ गैर सरकारी महाविद्यालयों को नये सहाय/विषय प्रारम्भ करने हेतु अनुदान-१४-सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता

भवदीय

सहायक शिक्षा निदेशक (३० शि०) उ० प्र०
इलाहाबाद

पृथमेंकन संख्या डिप्री अर्थ-१/...../१२१-२७...../ उसी विधि को।

प्रतिलिपि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ६/१८ न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. कुलसचिव विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
३. जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद।
४. मण्डलीय उच्च शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।
५. बजट सहायक।
६. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर / लखनऊ।
७. प्राचार्य / प्राचार्या सम्बन्धित महाविद्यालय।

सहायक शिक्षा निदेशक (३० शि०) उ० प्र०
इलाहाबाद

अन-५५५५ संशोधन के अन्तर्गत एवं आदेशाधीन अन्तर्गत - अद्यारो ५.५.११

शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उ०प्र०,
शिक्षा डिग्री अर्थ-1 अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य,

एस०एस०एन० महिला महाविद्यालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक: डिग्री अर्थ-1/ 3677 /97-98 दिनांक 31-3-1997

विषय: - प्रवक्ता पद का सृजन।

महोदय,

महाविद्यालय द्वारा पद सृजन हेतु प्रेषित प्रस्तावों पर क्वारं परान्त शासनादेश संख्या-378/15-19-96-4/24/96, दिनांक 24 अक्टूबर, 1996 के आलोक में निम्नलिखित प्रवक्ता पदों के सृजन की स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य क्विचिद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-60/6/8 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	पदनाम	पद संख्या	क्रम	अन्य विवरण
1.	<u>प्रवक्ता-चित्रकला</u>	एक पद	2200-4000	

- उक्त पद दि० 1.4.97 या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो से सृजित किये जाते हैं।
- इन पदों का सृजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं तथा घोषणाओं की सत्यता पर विश्वास करते हुये दिया जा रहा है यदि भविष्य में उक्त सूचनाओं तथा घोषणाओं को सत्य नहीं पाया गया तो इन पदों पर वेतन सहाय के परिणाम स्वरूप शासन को जो अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ेगा उनको पूरा करने का दायित्व प्रबन्धकर्ता का होगा और क्विचिद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-60/ड०/2 के अन्तर्गत उसकी कृती की जा सकेगी।
- उक्त पद इस आधार पर सृजित किये गये हैं कि जिन विषयों से संबंधित हैं उनमें स्वीकृति की अवधि के लिये क्विचिद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है अथवा सम्बद्धता विस्तारण स्थायीकरण के लिये क्विचिद्यालय द्वारा

प्रक,

शिक्षा निदेशक ३३० शि० उत्तर प्रदेश
शिक्षा डिग्री अर्थ-१ अनुभाग
इलाहाबाद

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य
एस०एस०ब०ब० गुरुदास डिग्री कॉलेज,
इलाहाबाद

पत्रांक: डिग्री अर्थ-१/ 5777 /98-99 दिनांक: 27-8-1998
विषय: प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में शिक्षकों के अस्थाई पदों का सृजन।

महोदय,

महाविद्यालय द्वारा पद सृजन हेतु प्रेषित प्रस्तावों पर विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-29 एस०पी०/सत्तर-6/98-36/97 दिनांक 19 मई, 1998 के आलोक में निम्नलिखित प्रवक्ता पदों के सृजन को स्विकृति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्याय-11 क को धारा-60 क/ख के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतनक्रम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	प्रवक्ता संगीत गायन	एक	2200-4000	
2.	प्रवक्ता जन्तु विज्ञान	एक	2200-4000	
3.	प्रवक्ता वनस्पति वि०	एक	2200-4000	
4.	प्रवक्ता रसायन वि०	एक	2200-4000	

1- उक्त पद निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 30 जून, 1999 तक के लिए सृजित किये जाते हैं।

2- इन पदों का सृजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं तथा घोषणाओं को सत्यता पर विश्वास करते हुये किया जा रहा है। यदि भा में उक्त सूचनाओं तथा घोषणाओं को सत्य नहीं पाया गया है तो इन पदों वेतन संदाय के परिणामस्वरूप शासन को जो अतिरिक्त व्ययभार उठान करना पड़ेगा उनको पूरा करने का दायित्व प्रबंधन का होगा और विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-60(इ१/12) के अन्तर्गत उसकी वसूली की जा


3- उक्त पद इस आधार पर सृजित किये गये हैं कि जिन विषयों सम्बन्धित हैं उनमें स्वीकृति की अवधि के लिये विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है अथवा सम्बद्धता विस्तारण स्थायीकरण के लिये विश्वविद्यालय द्वारा दाननीय कुलाध्यक्ष एवं शासन की संस्तुति भेजी जा चुकी है। अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विषयों में कृपया नियुक्ति परीबोधन पर उस समय तक न की जाय जब तक कि सम्बद्धता स्थायी न हो जाय। अस्थायी सम्बद्धता के अधीन विनियमित प्रवक्ताओं का वेतन संदाय निदेशालय के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4- इन पदों का स्वीकृति 30 जून 99 तक के लिए प्रदान का जाता है ।
30 जून, 99 से आगे का अग्रिम के लिए उनके प्रतिलोकरण के निमित्त आप कृपया
31 मार्च, 99 को संबन्धित विषय को वास्तविकता और संख्या; विषय में वास्तव
में कार्यरत शिक्षकों का संख्या तथा पद के प्रतिलोकरण के औचित्य के संबंध में संक्षिप्त
विषय के सम्बन्धित शिक्षकों के साप्ताहिक वर्क लोड का आगणन निर्धारित प्रपत्र "स"
में भेजें ।

5- जब तक निदेशालय द्वारा स्थायी न कर दिया जाय तब तक कृपया
पद धारक को स्थायी न किया जायें ।

6- स्तम्भ-1 द्वारा सूचित प्रवक्ता पद के प्रति उत्तर-प्रदेश उच्चतर शिक्षा
सेवा आयोग अधिनियम 1980 को अध्यादेश संख्या-43 वर्ष 1991 दिनांक 22 नवम्बर
1991 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 12, 13, 14 में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुसार शिक्षा
निदेशक द्वारा संसूचित अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति को करेंगे ।

7- शासन द्वारा जो संस्थायें अल्पसंख्यक संस्था घोषित का गये है ऐसी अल्पसंख्यक
संस्थाओं के संबंध में नियुक्तियां उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम -
1980 को धारा-26के अन्तर्गत विचारविधायक आयोग के अनुमोदनोपरान्त ही केवल
संदाय हेतु मान्य होगी इन पद धारकों के केवल संदाय के लिए स्वीकृत धनराशि
का व्यय आयोजनागत पक्ष से स्वीकृत होने वाले अनुदान से वहन किया जायेगा ।

भवदीय,


डा० रण विजय सिंह
सहायक निदेशक अर्थ
कृते-शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उ०प्र०,
इलाहाबाद ।

प्र० सं० दिनांक अर्थ-1/

उपरोक्त तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आश्रयक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विशेष कार्य अधिकारी उ०प्र० शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ ।
- 2- सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 9/18 न्याय मार्ग, इलाहाबाद ।
- 3- कुल सचिव •• इलाहाबाद वि०वि० इलाहाबाद
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक • इलाहाबाद •••••
- 5- डिप्टी कलेक्टर अनुभाग
- 6- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ••••• इलाहाबाद •
- 7- विशेष सहायक •••••

डा० रण विजय सिंह
सहायक निदेशक अर्थ
कृते-शिक्षा निदेशक उ०प्र० उ०प्र०
इलाहाबाद ।



UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAGAR MARG
NEW DELHI-110002

FD Diary No. 9968
Dated: 17.02.2015

2015

19th February 2015

20 FEB 2015

No.F.35-17/2008 (CU-OBC)

The Under Secretary (FD-III)
University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi-110 002

Subject: Release of Grants-in-aid to University of Allahabad, Allahabad for its constituent Colleges for the year 2014-2015 under General Development Grant for Implementation of OBC Reservation as per the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006.

Sir,

I am directed to convey the sanction of the University Grants Commission for payment of Rs.25,16,94,000/- (Rupees Twenty Five Crore Sixteen Lakhs Ninety Four Thousand Only) as 1st installment towards infrastructure development for implementation of OBC Reservation as per the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006 to University of Allahabad, Allahabad for its constituent Colleges, as per detail given below:-

Allocation for constituent Colleges	Name of the Item	Head of Account	Grant now being sanctioned	Grant already sanctioned	Total Grant Released so far
5033.88	Grants of Capital Assets (Non-recurring) (35)	General	1950.63	Nil	2516.94
		(A) 2202.03.102.10.02.35	377.54		
		SC Component	188.77		
		(B) 2202.03.789.03.02.35			
		ST Component			
		(C) 2202.03.796.03.02.35			
5033.88		Total	2516.94		2516.94

SL No.	Name of the College	Allocation for Infrastructure Development (Rs. in lakhs)	Grant now being sanctioned (Rs. in lakhs)	Grant already sanctioned	Total grant sanctioned so far (Rs. in lakhs)	Total Teaching position approved by UGC at the level of Asst. Professor
		3	4	5	6	7
1	2			Nil	690.30	70
1	Allahabad Degree College	1380.60	690.30			
2	Arya Kanya Girls Degree College	253.30	126.65		126.65	17
3	Chaudhary Mahadev Prasad Degree College	1967.40	983.70		983.70	85
4	Iswar Saran Degree College	403.20	201.60		201.60	22
5	Jagat Taran Girls Degree College	271.00	135.50		135.50	17
6	KP Training College	42.20	21.10		21.10	2
7	Rajarshi Tandon Girls Degree College	62.00	31.00		31.00	7
8	SS Khanna Girls Degree College	377.40	188.70		188.70	
9	SPM Degree College	276.78	138.39		138.39	
	Total	5033.88	2516.94		2516.94	259

Note: The expenditure on salary expenditure of faculty positions may be booked under Non-Plan.

SUSHMA RATHORE
Jndel : 19
15/02/2015

responsible for a...
 liability for refund of advance of delivery...
 of as they deal with us...